दूरभाष : ७१४५६६
टेलीफैक्स : ०१३५-२७१४५७२

उत्तरांचल शुगर्स, देहरादून

(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)

५३, सुभाष रोड, देहरादून (उत्तरांचल)

पत्रांक 841

दिनांक 30/11/2006

आदेश

उत्तरांचल राज्य की सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के विभिन्न कर्मकार संघो के मांग पत्र दिनांक 16.10.2006 पर मा0 श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2006 को हुई बैठक एवं सहमति के आधार पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैः-

1. बोनस भुगतान अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के अधीन चीनी मिल कर्मकारों को बोनस भुगतान अनुमन्य है। अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रू0 2500/- प्रतिमाह वेतन की सीमा के अर्न्तगत रू0 3500/- प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले चीनी मिल कर्मकारों को बोनस अनुमन्य है। एतदद्वारा उक्त वेतन सीमा को रू0 3500/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 10500/- प्रतिमाह तक किया जाता है। तदनुसार न्यूनतम बोनस के भुगतान की अधिकतम सीमा रूपये 2500/-(प्रतिवर्ष)से अधिक नहीं होगी,जब तक की बोनस अधिनियम,1965 में संशोधन ना हो। उक्त भुगतान की गयी धनराशि अधिनियम के संशोधन के पश्चात नियमानुसार न्यूनतम बोनस अधिनियिम का भाग होगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रभावी होगी।
2. सेवाकाल के दौरान मृतक चीनी मिल कर्मकारों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान करने सम्बन्धी उत्तरांचल शुगर्स के आदेश सं0 1257 दिनांक 17.01.2006 के बिन्दु सं0 8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है-

   " वेजबोर्ड के अर्न्तगत कार्यरत रहें मृतक चीनी मिल कर्मकारों के आश्रितों को मृतक कर्मकार की सेवा की प्रवृति के अनुसार स्थाई (पूर्णकालिक)/मौसमी (सामयिक) नियुक्ति प्रदान की जायेगी"।
3. बन्दी सत्र 2007 से सामयिक (सीजनल) कर्मकारों की बैठकी भत्ता (रिटेनिंग एलाउन्स) निम्न दरों से देय होता।

(क) अकुशल	25 प्रतिशत
(ख) अर्द्धकुशल	35 प्रतिशत
(ग) कुशल ख से अतिकुशल लिपकीय श्रेणी 4 से 1 तक समस्त श्रेणी के पर्यवेक्षक कर्मचारी	55 प्रतिशत

4. समस्त सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में लागू पूर्ववर्ती चिकित्सा भत्ता, एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के स्थान पर किच्छा शुगर कम्पनी लि0. में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी।

उक्त आदेश उत्तरांचल राज्य की समस्त सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों पर लागू होगें।

(पी0सी0 शर्मा) 30/11
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः-

1. समस्त प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिले उत्तरांचल।
2. अधिशासी निदेशक, किच्छा एव डोईवाला शुगर कम्पनी लि0.।

(विनोद शर्मा) 30/11/06
मुख्य कार्यकारी अधिकारी